दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 20 फरवरी, 2023

इस मामले में:

रि.या.(सि) 8183/2022

गोरे लाल सिंह .... याचिकाकर्ता

द्वारा : सुश्री रश्मि नंदकुमार, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री अनुपम श्रीवास्तव, रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए अति.स्था.अधि सह श्री धैर्य गुप्ता, अधिवक्तागण

सुश्री बीनाशॉ एन. सोनी, स्था.अधि. दि.न.नि. सह सुश्री मानसी भाटिया, सुश्री मानसी जैन तथा श्री भूपेश पंडोत्रा, प्र-4 के लिए अधिवक्तागण

सुश्री शोभना तकियार, स्था.अधि., दि.वि.प्रा. सह श्री कुलजीत सिंह, अधिवक्ता

कोरमः
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभ्रमोणियम प्रसाद

<u>निर्णय</u>

1. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई हैः- -

> *"1. घोषणा की जाए कि कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति हमारे समाज के समान सदस्य हैं और कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेद भाव संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का स्पष्ट उल्लंघन है;*
>
> *2. घोषणा की जाए कि कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तियों जैसे कि याचिकाकर्ता, जो कुष्ठरोग कालोनियों में रहते हैं, को अनुच्छेद 21 के अधीन अधिकार के अंतर्गत इन कॉलोनियों में रहना और भूमि के स्वामी होने का अन्तर्निहित अधिकार प्राप्त है।*
>
> *3. प्रत्यर्थी (गण) 1 से 3 को समुचित उपायों द्वारा (2) के अधीन घोषित अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए निर्देशित किया जाए।"*

2. दिनांक 24.05.2022 को, मामले को सबसे पहले विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था तथा विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थीगण को स्थिति आख्या दायर करने का निर्देश दिया। इसके बाद मामले को दिनांक 06.09.2022 तक स्थगित कर दिया गया। दिनांक 06.09.2022 को, मामले को 03.11.2022 तक स्थगित कर दिया गया।

3. दिनांक 03.11.2022 को, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक प्रत्यर्थीगण के रूप में अभियोजित करते हुए एक

संशोधित पक्षकारगण ज्ञापन दायर करने का निर्देश दिया और मामले को दिनांक 16.01.2023 तक स्थगित कर दिया गया। दिनांक 16 जनवरी, 2023 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

"2. *वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है जो पहले कुष्ठरोग से प्रभावित था और बाद में इस रोग से उपचारित कर दिया गया था। उन्होंने कुष्ठरोग से पीड़ित व्यक्तियों के लाभ हेतु कुछ दिशानिर्देशों की मांग करते हुए इस याचिका को दायर किया है।*

3. इस याचिका में की गई प्रार्थना को निम्नानुसार उद्घृत किया गया है:

> *"1. घोषणा की जाए कि कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति हमारे समाज के समान सदस्य हैं और कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेद भाव संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का स्पष्ट उल्लंघन है;*
>
> *2. घोषणा की जाए कि कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तियों जैसे कि याचिकाकर्ता, जो कुष्ठरोग कालोनियों में रहते हैं, को अनुच्छेद 21 के अधीन अधिकार के अंतर्गत इन कॉलोनियों में रहना और भूमि के स्वामी होने का अन्तर्निहित अधिकार प्राप्त है।*
>
> *3. प्रत्यर्थी (गण) 1 से 3 को समुचित उपायों द्वारा (2) के अधीन घोषित अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए निर्देशित किया जाए।"*
>
> *4- प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह एक जनहित याचिका की प्रकृति का है और इसे उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए| इस अनुरोध को याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया है। मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए रोस्टर के अनुसार यह उचित समझा जाता है कि*

यह मामला जनहित याचिकाओं से संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

5. इस बीच, प्रत्यर्थीगण को चार सप्ताह के भीतर अपने प्रति-शपथपत्र दाखिल करने दें।

6. माननीय मुख्य न्यायाधीश के 20 फरवरी, 2023 के आदेशों के अधीन, रोस्टर के अनुसार उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।"

4. दिनांक 16.01.2023 के आदेश के अनुसरण में, मामला इस न्यायालय के समक्ष रखा गया था।

5. यह कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता कुष्ठ रोगी है वह गांधी कुष्ठ आश्रम, ताहिरपुर, नई दिल्ली का निवासी बन गया और उसे गांधी कुष्ठ आश्रम में कमरा सं.15 आवंटित किया गया था|

6. यह कहा गया है कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के साथ गलत आधार पर भेदभाव किया जा रहा है कि यह रोग लाइलाज है और अत्यधिक संक्रामक है। भेदभाव का सबसे घृणित रूप कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को अलग-थलग करना है, जिससे उन्हें केवल कुष्ठ कॉलोनियों में रहने की अनुमति देते है।

7. यह कहा गया है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को लगभग तुरंत हाशिए पर डाल दिया जाता है और उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। रोगी को नियमित आवासीय स्थानों में रहने की अनुमति नहीं है और उन्हें निश्चित निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यह आगे कहा गया है कि गांधी कुष्ठ आश्रम, ताहिरपुर, नई दिल्ली जहां याचिकाकर्ता रह रहा था, एक ऐसे इलाके में स्थित है जहां

कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के लिए उसी इलाके के भीतर कई अन्य आश्रम स्थापित हैं, जो समाज कल्याण विभाग,जी.एन.सी.टी.डी के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित किए गए हैं| यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए सभी कल्याणकारी उपायों के बावजूद, इन कुष्ठ कॉलोनियों को अन्य पड़ोस की तरह वैध आवासीय क्षेत्रों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और इन कॉलोनियों के निवासियों को इन कॉलोनियों में कोई संपत्ति का अधिकार नहीं है। यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं कुष्ठ कॉलोनियों में रहने वाले कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए कदम उठाने का अनुरोध करते हुए दायर की गई हैं।

8. यह कहा गया है कि दिल्ली की छह कुष्ठ कॉलोनियों में रहने वाले कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए कदम उठाने का अनुरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रि.या.(सि) 10210/1985 वाली एक रिट याचिका दायर की गई थी। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय को रिट याचिका प्रेषित की और उसे रि.या.(सि) 3998/1996 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।

9. रि.या.(सि) 3998/1996 का निपटान एक समिति गठित करने के पश्चात् किया गया था और समिति से यह अपेक्षित था कि वह योजना के कार्यान्वयन के संबंध में इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह कहा गया है कि चूंकि योजनाओं को अक्षरशः लागू नहीं किया जा रहा था, इसलिए इस न्यायालय में अवमानना वा. (सि) संख्या 224/2004 वाली अवमानना याचिका दायर की गई थी

और इस न्यायालय ने दिनांक 20.12.2006 के आदेश के माध्यम से मुख्य सचिव/संबंधित स्वास्थ्य सचिव को ताहिरपुर में सुविधाओं के विकास के लिए एक नोडल समिति गठित करने का निर्देश दिया था।

10. यह कहा गया है कि ताहिरपुर परिसर, जहां याचिकाकर्ता रह रहा है, अतिक्रमण की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है और कई अभ्यावेदनों के बावजूद, ताहिरपुर परिसर के भीतर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं|

11. यह रिट याचिका मुख्य रूप से यह उल्लेख करते हुए दायर की गई है कि अतिक्रमण की समस्या को केवल अधिवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करके हल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 256 पर अवलंबित है, जो सिफारिश करती है कि वे लोग जो वर्षों से कॉलोनियों में रह रहे हैं और परिवारों सहित वहां रहना चाहते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जो भूमि के स्वामित्व/मालिकाना हक के अभाव में बेदखली के स्थाई खतरे में जी रहे हैं, इसलिए भारत के विधि आयोग ने संपत्ति के मालिकाना हक/स्वामित्व को वैध बनाने के लिए उपायों की सिफारिश की है। याचिकाकर्ता ने, इसलिए, प्रार्थना की कि इस न्यायालय को इन कॉलोनियों में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को इन कॉलोनियों में भूमि पर कबिज होने और स्वामित्व रखने के लिए एक रिट जारी करनी चाहिए।

12. वर्तमान रिट याचिका में नोटिस जारी किया गया था और दिनांक 01.11.2022 को एक स्थिति आख्या दाखिल की गई थी। स्थिति आख्या से पता चलता है कि कुष्ठ रोग परिसर, ताहिरपुर में 1077 घर हैं और दिनांक 06.01.1983 को दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन में एमसीडी द्वारा समाज कल्याण विभाग को भूमि हस्तांतरित की गई थी। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि 576 मकानों के निवासी कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति थे और 492 व्यक्तियों ने अपने जीवन में बीमारी के इतिहास से संबंधित चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। तथापि, व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्रों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर उनमें से अधिकांश कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं थे। स्थिति आख्या में यह भी कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्थिति आख्या का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है :-

> *"2 सीसीपी सं. 224/2004, कुष्ठ आशा दीप बनाम ए. के. पैंटांडी, सचिव (समाज कल्याण) के मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, एसडीएम/संयोजक एसटीएफ को गैर-कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों और चिन्हित अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया था [*बैठक के कार्यवृत्त *(एमओएम) की प्रति 136-139/सी पर संलग्न हैं]।*
>
> *सामाजिक कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के नियंत्रण, अधिभोग और प्रबंधन के तहत ताहिरपुर कुष्ठ रोग परिसर में अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण को हटाने और अवैध रूप से रहने वालों को बेदखल करने के संबंध में एसटीएफ की बैठक दिनांक 21.12.2016 को शाम के 3 बजे सीमापुरी में संयोजक एसटीएफ/एसडीएम के चैंबर में आयोजित की गई। एसटीएफ के*

सभी सदस्य दिनांक 05.01.2017 को सुबह 10:00 बजे कार्यवाही के दौरान उपस्थित थे। (बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है)। आगे, उपरोक्त के अनुसरण में, ताहिरपुर गांव से सभी अतिक्रमण हटा दिए गए।

जहां तक असुरक्षित निर्माणों को गिराने का संबंध है, एक बार भवनों के अधिकृत कब्जाधारकों से इस तरह की शिकायत विभाग को प्राप्त होने के बाद उचित स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

4. ताहिरपुर में कुष्ठ रोग पुनर्वास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में विभाग द्वारा कुष्ठ रोग कॉलोनी में प्रदान की जाने वाली विस्तृत सेवाओं हेतु 4,75,82000 (चार करोड़ पचहत्तर लाख बयासी हजार) रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें शौचालय निर्माण से लेकर चारदीवारी का निर्माण, जल संरक्षण, उद्यान विकसित करना, बेहतर पानी की आपूर्ति और 2017 से टीसीपीसी की जलनिकासी विकसित करना शामिल है।

हालांकि स्वच्छता, सुरक्षा, सड़कों, पार्कों, स्ट्रीट लाइटिंग आदि का रखरखाव जैसे कार्य सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ये मामले पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीजेबी या अन्य संबंधित एजेंसियों से संबंधित हैं।

इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी मंजूरी आदेश का अनुपालन करेगा। मंजूरी आदेश की सूची संलग्न है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 2018 में बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों को केवल यह स्पष्ट करने हेतु निरसित कर दिया गया था कि भीख मांगना कोई अपराध नहीं है और इसलिए समय के साथ संस्था नामतः कुष्ठ रोग और आई.बी. (एच.एल.टी.बी.)/कुष्ठ रोग प्रभावित भिखारियों के लिए घर (एच.एल.ए.बी.), जो विशेष रूप से कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों (एल.ए.पी.)/कुष्ठ रोग उपचार किए गए व्यक्ति (एल.सी.पी.) के लिए स्थापित किया गया था, को

विकलांग लोगों के साथ सामान्य वृद्ध आबादी के लिए वृद्धाश्रम के रूप में अधिसूचित किया गया था| (अधिसूचना की प्रति संलग्न है)

संक्षेप में, वर्ष 1981 में कोई प्रणाली नहीं थी जब कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों के लिए विभाग द्वारा कुष्ठ रोग पुनर्वास केंद्र की अवधारणा उनके लिए बनाई गई थी जो सामाजिक सुरक्षा की तलाश में भारत के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आए और मुख्य रूप से अपने सामूहिक एकल मुद्दे को उठाने के लिए दिल्ली के पूर्वोत्तर जिले में एकत्रित हुए| न्यायालय ने समय-समय पर विभिन्न प्रयास किए हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1995 में विकलांगता की समस्या के समाधान के लिए विकलांगता अधिनियम लागू किया गया था जिसमें उस अवधि को स्पष्ट किया गया था जिसमें केवल 7 (सात) प्रकार की विकलांगता शामिल थी|

हालाँकि, वर्ष 2016 में आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम को फिर से संशोधित किया गया ताकि कुष्ठ रोग प्रभावित/उपचार किए गए व्यक्ति के मुद्दे सहित 21 (इक्कीस) विकलांगताओं की व्यापक श्रेणी का निवारण किया जा सके| यह उल्लेख करना आवश्यक है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के वैधानिक प्रावधान के तहत एलएपी/एलसीपी सहित सभी श्रेणियों के दिव्यांगजनों के सामने आने वाली समस्याओं पर गौर करने के लिए सरकार द्वारा विकलांगता आयोग की नियुक्ति की जा रही है|"

13. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से आगे पता चलता है कि अव.वा.(सि.) सं. 224/2004 का निपटान दिनांक 25.05.2017 के निर्णय के माध्यम से किया गया था| उक्त निर्णय नोट करता है कि मामले में नियुक्त विद्वान न्यायमित्र ने एक आयोग के गठन करने का सुझाव दिया है जिसमे रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. के समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक और छह अन्य सदस्य हों| हालाँकि, इस न्यायालय ने आयोग में दो और सदस्यों को जोड़ा और निर्देश दिया कि आयोग की अध्यक्षता रा.रा.क्षे.दि.रा.सर. के समाज कल्याण विभाग के विशेष निदेशक द्वारा की जानी

चाहिए और शाहदरा के उपायुक्त को भी आयोग का सदस्य बनाया जाना चाहिए और आयोग की दो महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए|

14. अभिलेख पर रखे तथ्यों से संकेत मिलता है कि कुष्ठ रोग एक उपचार योग्य रोग है और एक बार व्यक्ति के ठीक हो जाने के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि व्यक्ति का पुनर्वास किया जाए| यह न्यायालय, हालाँकि, कुष्ठ रोग कॉलोनियों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कब्ज़ा की गई भूमि के हक की मंजूरी के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को मान लेने की स्थिति में नहीं है| कुष्ठ रोग कॉलोनियों का उद्देश्य कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए है और एक बार जब कोई व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हो जाता है, तो उसे इन कॉलोनियों को छोड़ने की स्थिति में होना चाहिए और उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए| ऐसे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी इन कॉलोनियों में रहने की अनुमति देने के लिए भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता, भले ही आने वाली पीढ़ियां इस बीमारी से शारीरिक रूप से प्रभावित न हों|

15. यदि इन कॉलोनियों में रहने वाले व्यक्तियों और जो कुष्ठ रोग से प्रभावित नहीं हैं को भूमि का मालिकाना हक दिया जाता है तो इन कॉलोनियों के निर्माण का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा| यह न्यायालय याचिकाकर्ता से सहमत है कि कुष्ठ रोगी हमारे समाज के समान सदस्य हैं और कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेदभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन है| इसलिए, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि इन व्यक्तियों को

मुख्यधारा में वापस लाया जाए| इन कॉलोनियों में उन्हें मालिकाना हक देना समाधान नहीं है|

इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को इन कॉलोनियों से बाहर आने, सामान्य जीवन जीने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

16. हालांकि यह न्यायालय याचिकाकर्ता के कारण के साथ सहानुभूति रखता है, न्यायालय के हाथ मालिकाना हक की मंजूरी के लिए प्रार्थना के संबंध में बंधे हुए हैं। स्वामित्व विलेख प्रदान करना अतिक्रमण के मुद्दे का समाधान नहीं है। इस न्यायालय द्वारा अवमानना वाद (सि) संख्या 224/2004 में गठित समिति को यह सुनिश्चित करना है कि इन कॉलोनियों में कोई अतिक्रमण न हो। इसके अलावा, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को विकलांगता कोटे वाले व्यक्तियों के तहत नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए और लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुष्ठ रोग से प्रभावित रोगियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय उस भूमि अर्थात् कुष्ठ परिसर ताहिरपुर के हक की मंजूरी की प्रार्थना मान लेने की स्थिति में नहीं है जो कुष्ठ कॉलोनियों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा अधिभोग किया जा रहा है। हालांकि, एमसीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि इन कॉलोनियों में

रहने वाले कुष्ठ रोगियों को बेदखल नहीं किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जमीन पर कोई अतिक्रमण न हो।

18. लंबित आवेदन(ओं) के साथ, यदि कोई हो, उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटान किया किया जाता है।

श्री सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्या.

सुभ्रमोणयम प्रसाद, न्या.

20 फरवरी, 2023/
एचएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*